मृतक जमा खाता भुगतान :

मृतक जमाकर्ताओं के खाते के अवशेष का भुगतान कतिपय परिस्थितियों में बिना विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त किये भी किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी द्वारा इस हेतु प्रकरण की उपयुक्तता पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा। ऐसे प्रकरणों की उपयुक्तता का निर्धारण निम्न शर्तों के अधीन किया जायेगा।

(1) दावेदार/दावेदारों की संदेह रहित पहचान हो।

(2) दावे के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद न हो।

(3) मृतक जमाकर्ता द्वारा ऐसी कोई अन्य सम्पत्ति जिसमें खातों में जमा राशि भी सम्मिलित हो, न छोड़ी गयी हो जिस हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो।

प्रक्रिया/दस्तावेज–

1– रू0 50,000/– से अनधिक अवशेष वाले खाते

(i) आवेदन पत्र

(ii) मृत्यु प्रमाण पत्र तथा परिवार पंजिका की नकल

(iii) संलग्न प्रारूप के अनुरूप मृतक के परिवार तथा बैंक को जानने वाले दो व्यक्ति जो मृतक से संबंधित न हो, द्वारा प्रस्तुत स्टाम्पित शपथपत्र (Affidavit)

(iv) संलग्न प्रारूप पर स्टांपित क्षतिपूर्ति बंध पत्र जो सभी दावेदारों, स्वत्व परित्याग पत्र प्रस्तुत करने वाले दावेदार/दावेदारों को छोड़कर, द्वारा हस्ताक्षरित होगा किंतु कोई जमानतदार नहीं लिये जायेंगे।

(v) स्वत्व परित्याग पत्र

2–रू0 50,000/– से अधिक अवशेष वाले खाते

(i) आवेदन पत्र

(ii) मृत्यु प्रमाण पत्र

(iii) स्टाम्पित शपथ पत्र

(iv) स्टाम्पित क्षतिपूर्ति बंधपत्र जो दावेदार/दावेदारों के अतिरिक्त दावाराशि के सापेक्ष स्वीकार्य दो व्यक्तियों की जमानत के रूप में स्वीकार किया जायेगा।ये जमानतदार एफीडेविट प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों से भिन्न तथा प्रत्येक की हैसियत दावाकृत राशि के सापेक्ष स्वीकार्य हो। मृतक के संबंधी भी जमानतदारों के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं बशर्ते वे दावेदार के रूप में स्वयं संबंधित न हो।

(v) स्वत्व परित्याग पत्र

शाखा प्रबंधक को स्वतंत्र जांच से इस तथ्य से संतुष्ट होना चाहिए कि मृतक निर्वसीयत मरा है तथा दावेदार/दावेदारों के अतिरिक्त कोई अन्य दावेदार नहीं है तथा मृतक द्वारा ऐसी कोई अन्य सम्पत्ति नहीं छोड़ी गयी हो जिसके निस्तारण हेतु विधिक प्रतिनिधित्व आवश्यक हो।